कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–M 34 / 2019

धारा–107 द०प्र०सं०

आचु मुण्डा ....प्रथम पक्ष

बनाम

पाण्डा मुण्डा वगैरह ....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
11/10/2019	प्रस्तुत वाद में दशमफॉल थाना अप्राथमिकी संख्या–04 / 2019 दिनांक–02 / 04 / 2019 में प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद मौजा–पानसकाम, खाता संख्या–63, प्लॉट नं०–359, रकबा–85.30 एकड़ भूमि को लेकर उत्पन्न हुआ है। वाद में उभय पक्षों द्वारा कारणपृच्छा प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में बताया गया कि मेरे ओर से शांतिभंग होने की कोई संभावना नहीं है। मुकदमा हुआ है। अपितु प्रथम पक्ष से शांतिभंग होने की पूर्ण संभावना है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि विवाद जमीन को लेकर है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उभय पक्षों के द्वारा वाद के संबंध में कोई गवाही प्रस्तुत नही किया गया है। वाद में प्रस्तुत उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह प्रतीत होता है कि विवाद का कारण प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ है। जो सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 11/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 11/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.11 14:49:07 +05:30
Location: 10.93.79.5